न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार , आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 25/13

1. सोना राम पुत्र श्री अर्जनराम उम्र 90 वर्ष जाति नायक निवासी 12 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
2. श्योदान पुत्र श्री लिछमन राम उम्र 70 वर्ष जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :–

1.श्री बलदेव सिंह निवाढा वकील प्रार्थी
2.श्री राजेन्द्र सिंह सेखों वकील प्रार्थी
3. श्री अशोक धायल वकील अप्रार्थी सं. 2

–:निर्णय:– दिनांक:–02.04.2019

सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. में निवेदन किया है कि प्रार्थी का पेशा काश्तकारी है। प्रार्थी को चक 12 पीटीडी के मु.नं. 265/348 के कि.नं. 1 ता 17 दिनांक 27.10.72 को आवंटित हुई थी व शेष 18 ता 25 को सरप्लस किया गया। लेकिन कब्जा लगातार प्रार्थी का रहा। प्रार्थी की बालिग लडकियों द्वारा उक्त सरप्लस भूमि को आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था। प्रार्थी को विवादित भूमि पर जब से अस्थाई तौर पर आवंटन हुआ तब से कब्जा चला आ रहा है। तत्पश्चात उक्त कि.नं. 18 ता 25 को अप्रार्थी श्योदान को आवंटित कर दी। आवंटिती श्योदान का उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा तथा ना ही उक्त भूमि की किश्ते आदि जमा कराई गई है। किश्तो की राशि जमा नही कराने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कोई विधिक अधिकार नही है। मौके पर प्रार्थी की खड़ी फसल को अप्रार्थी जबरन उठाना चाहता है तथा भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिसे रोका जाना न्यायहित में न्यायोचित है। फसल उठाये जाने पर प्रार्थी का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के विवादित भूमि चक 12 पीटीडी बी के मु.नं. 265/348 के कि.नं. 18 ता 25 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा भूमि वा काबिज होने एवं भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन करने से वर्जित रहे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय बहस पर दिनांक 25.03.13 को अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी को चक 12 पीटीडी में 17 बीघा भूमिहीनों में आवंटन हुई थी तथा शेष भूमि आवंटन से अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कब्जे में ले ली गई तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त कि.नं. 18 ता 25 बीघा नहरी भूमि को दिनांक 31.12.75 को पुख्ता आवंटन कर दी। वर्तमान में अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि अप्रार्थी के नाम से गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जा चुका है। विवादित भूमि पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नही हैं। प्रार्थी ने अपनी पुत्रियों की ओर से बालिग पुत्रीयों का प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना झूठ पर आधारित है। माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्थान जोधपुर में विचाराधीन नही है। प्रार्थी एडवर्स पोजेशन के आधार पर भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

आवंटन कराने का पात्र नही है। प्रार्थी बतौर अतिक्रमी भूमि पर काबिज है। प्रथम दृष्ट्या मामल किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के वकीलो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि विवादित 8 बीघा भूमि उसकी सरप्लस शुद्धा भूमि है। जिसके आवंटन हेतु बालिग पुत्रों में प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी का कब्जा काश्त भूमि में अप्रार्थी मदाखलत बेजा करना चाहते है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि अप्रार्थी को आवंटन होने पर उनके द्वारा किश्ते भी जमा नही कराई गई है। इसलिए अप्रार्थी सं. 2 का आवंटन निरस्त हो चुका है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण को दखलन्दाजी करने से वर्जित किया जावे एवं न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर वकील अप्रार्थी ने एतराज प्रकट करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नाजायज बतौर अतिक्रमी की हैसियत से है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 को दिनांक 31.12.75 को आवंटन होने पर उसकी किश्ते आदि जमा कराई जा चुकी है तथा भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किया जा चुका है। लेकिन स्थग्न की आड़ में कब्जा किये बैठा है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में बालिग पुत्रीयों को आवंटन विचाराधीन हेाने बाबत कथन किया कि ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया है। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना–पत्र खाारिज किया जावे।

उभय पक्ष के वकीलो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि को सरप्लस मानते हुए भूमि का आवंटन बालिग पुत्रीयों में विचाराधीन होने का कथन किया है लेकिन पत्रावली में बालिग पुत्रीयों के आवंटन प्रार्थना–पत्र बाबत कोई दस्तावेज अथवा सरप्लस भूमि होने का साक्ष्य पेश नही किया है। सरप्लस भूमि के आधार पर कब्जा बनाये रखने हेतु स्थग्न बाबत निवेदन किया है। जबकि अप्रार्थी सं. 2 विवादित भूमि दिनांक 31.12.75 को पुख्ता आवंटन होने पर आवंटिती अप्रार्थी सं. 2 श्योदान पुत्र लिछमन के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। तहसीलदार रायसिंहनगर के न्यायालय से जारी पत्रावली में धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के नोटिसों से भी यह साबित है कि प्रार्थी बतौर अतिक्रमी की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 की आवंटित भूमि पर बतौर अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मात्र आवंटन नियमों के सम्बन्ध में तथ्य पेश किए है। प्रार्थी बतौर अतिक्रमी काबिज है। जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 को आवंटन होने के बाद गैर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी सं. 2 की होगी। प्रार्थी बतौर अतिक्रमी होने से किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र करने का अधिकारी नही है। लिहाजा न्यायालय के मत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.03.2013 विद–ड्रा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner